



कृषि विभाग
बिहार, पटना

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), बिहार, पटना

किसान चौपाल के आयोजन हेतु मिनट टू मिनट कार्यक्रम

तिथि— 07 से 21 दिसम्बर, 2020 तक स्थान — ग्राम पंचायत अंतर्गत चयनित गाँव

समय	कार्यक्रम का विवरण	आमंत्रित अतिथि / वक्ता
9.00—9.30 बजे पूर्वाहन	आमंत्रित अतिथियों एवं क्षेत्रीय कर्मियों का निबंधन	
9.30—9.35 बजे पूर्वाहन	कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन	विशिष्ट अतिथि
9.35—9.45 बजे पूर्वाहन	सम्बोधन एवं सुझाव	उद्घाटनकर्ता—सह—विशिष्ट अतिथि
1. कृषि निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएँ		विभागीय पदाधिकारी / विशेषज्ञ
9.45—9.55 बजे पूर्वाहन	बीज ग्राम/मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार/ एकीकृत बीज ग्राम योजना	प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
9.55—10.05 बजे पूर्वाहन	जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम/ पी०के०भी०वाई०	तदैव
10.05—10.15 बजे पूर्वाहन	कृषि यांत्रीकरण योजना एवं कस्टम हायरिंग सेंटर तथा फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित योजनाओं की जानकारी	तदैव
10.15—10.25 बजे पूर्वाहन	मिट्टी जाँच एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड	सहायक निदेशक (रसायन) अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
10.25—10.35 बजे पूर्वाहन	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
10.35—10.45 बजे पूर्वाहन	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	तदैव
10.45—10.55 बजे पूर्वाहन	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	तदैव
10.55—11.05 बजे पूर्वाहन	पौधा संरक्षण	सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मी
11.05—11.30 बजे पूर्वाहन	किसान क्रेडिट कार्ड/ कृषि ऋण	संबंधित लीड बैंक के पदाधिकारी/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
2. उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएँ		विभागीय पदाधिकारी / विशेषज्ञ
11.30—11.45 बजे पूर्वाहन	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सहायक निदेशक (उद्यान) द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
11.45—11.55 बजे पूर्वाहन	मुख्यमंत्री बागवानी मिशन	तदैव
11.55—12.10 बजे अपराह्न	विशेष फसल योजना एवं अन्य योजना	तदैव
12.10—12.20 बजे अपराह्न	चाय ब्रेक	

समय	कार्यक्रम का विवरण	आमंत्रित अतिथि / वक्ता
12.20–12.50 बजे अपराहन	कृषि अधिनियम बिल–2020 से संबंधित लघु फिल्म का प्रसारण	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक / सहायक तकनीकी प्रबंधक
12.50–1.10 बजे अपराहन	फसल अवशेष प्रबंधन एवं डीकम्पोजर से संबंधित जानकारी	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक / सहायक तकनीकी प्रबंधक / कृषि समन्वयक
3. आत्मा द्वारा संचालित कार्यक्रम		विभागीय पदाधिकारी / विशेषज्ञ
1.10–1.40 बजे अपराहन	<ul style="list-style-type: none"> ● किसान हित समूह का गठन ● खाद्य सुरक्षा समूह का गठन ● कृषक उत्पादक संगठन ● किसान पुरस्कार कार्यक्रम ● राज्य के बाहर/राज्य/जिला के अंदर किसानों का प्रशिक्षण ● राज्य के बाहर/राज्य/जिला के अंदर किसानों का परिभ्रमण ● किसान गोष्ठी ● कौशल विकास मिशन ● किसान वैज्ञानिक वार्तालाप ● देसी कार्यक्रम 	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक / सहायक तकनीकी प्रबंधक / परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
4. भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएँ		विभागीय पदाधिकारी / विशेषज्ञ
1.40–1.50 बजे अपराहन	<ul style="list-style-type: none"> ● जल छाजन ● जिला सिंचाई कार्य योजना ● प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 	उप निदेशक (भूमि संरक्षण) / जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
1.50–2.00 बजे अपराहन	कार्ययोजना तैयार करने हेतु किसानों से सुझाव का आमंत्रण / संग्रह तथा किसानों के कृषि संबंधी स्थानीय समस्याओं का समाधान	विभागीय संबंधित पदाधिकारी / कृषि वैज्ञानिक / विशेषज्ञ
2.00–2.10 बजे अपराहन	पशुपालन से संबंधित योजनायें / कार्यक्रम	प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी / भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी / जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
2.10–2.20 बजे अपराहन	सहकारिता विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम	प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
2.20–2.30 बजे अपराहन	मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित कार्यक्रम	जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
2.30 बजे अपराहन	धन्यवाद ज्ञापन	विभागीय पदाधिकारी

नोट –

1. किसान चौपाल के आयोजन हेतु राज्य स्तर से चयनित गाँव एवं उनके तिथियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का गाँव एवं तिथियों में परिवर्तन करते हैं तो यह समझा जाएगा कि वे स्वयं अपने स्तर से किसान चौपाल का आयोजन कर रहे हैं एवं उसके आयोजन में राज्य सरकार की राशि व्यय नहीं मानी जाएगी।

**निदेशक
बामेती, बिहार, पटना**